अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2019-20 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20[1]
1	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	कर राजस्व	30,929.09	34,025.69	41,099.38	42,581.34	42,824.95
	कर-भिन्न राजस्व	4,752.48	6,196.09	9,112.85	7,975.64	7,399.74
	योग	35,681.57	40,221.78	50,212.23	50,556.98	50,224.69
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	5,496.22	6,597.47	7,297.52	8,254.60	7,111.53[2]
	सहायता अनुदान	6,378.76	5,677.57	5,185.12	7,073.54	10,521.91[3]
	योग	11,874.98	12,275.04	12,482.64	15,328.14	17,633.44
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	47,556.55	52,496.82	62,694.87	65,885.12	67,858.13
4	1 की 3 से प्रतिशतता	75	77	80	77	74

(स्रोत: वित्त लेखे)

[1] राज्य सरकार का वित्त लेखा।

[2] इसमें केंद्रीय माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,018.07 करोड़ की राशि शामिल हैं।

[3] इसमें माल एवं सेवा कर के लागू होने से हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 6,779.25 करोड़ की प्राप्य राशि के विरूद्ध प्राप्त ₹ 5,453.43 करोड़ की राशि शामिल है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

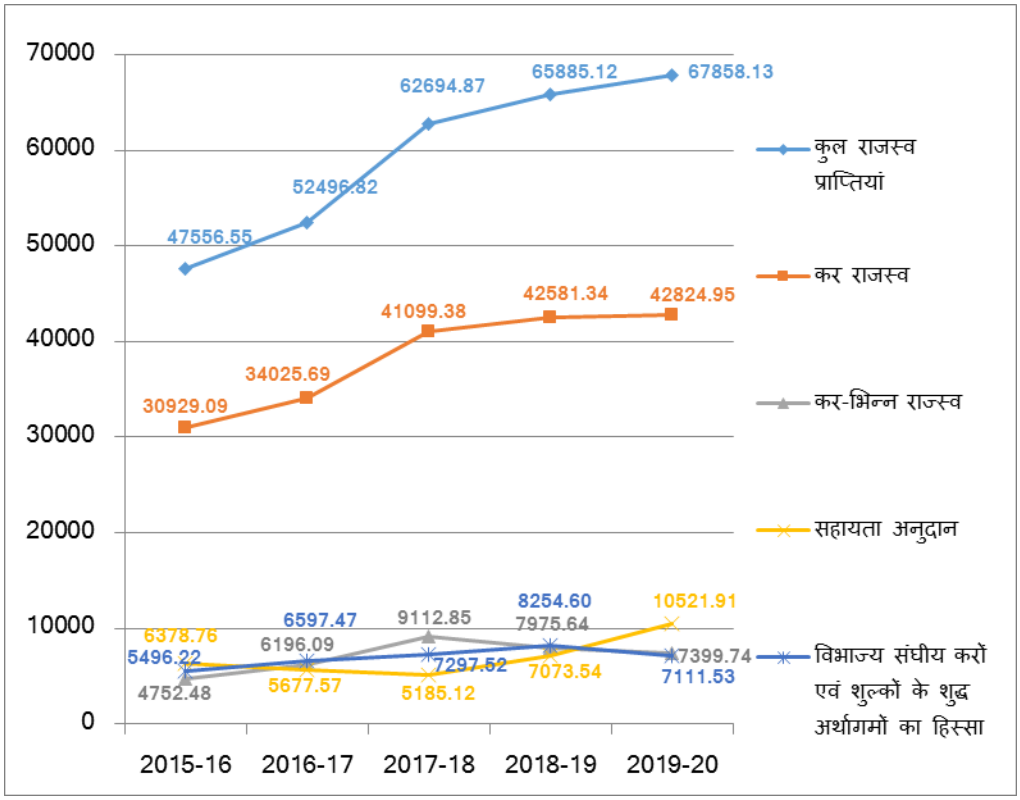

(स्रोतः वित्त लेखे)

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 50,224.69 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 74 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्तियों का शेष 26 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था। 2017-18 से 2019-20 तक राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में थोड़ा आधिक्य था जोकि इस अवधि के दौरान मुख्यतः स्थिर कर राजस्व के कारण था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2015-16 (75 प्रतिशत) से 2017-18 (80 प्रतिशत) तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाती है। तत्पश्चात, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए घटकर क्रमशः 77 और 74 प्रतिशत हो गई।

1.1.2 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2018-19 के वास्तविकों पर 2019-20 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	21,060.23 (68.09)	23,488.41 (69.03)	15,608.92 (37.98)	8,998.00 (21.31)	8,397.81 (19.61)	(-) 6.67
	राज्य माल एवं सेवा कर			10,833.43 (26.36)	18,612.72 (43.71)	18,872.95 (44.07)	1.40
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,371.08 (14.13)	4,613.13 (13.56)	4,966.21 (12.08)	6,041.87 (14.19)	6,322.70 (14.76)	4.65
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,191.21 (10.32)	3,282.64 (9.65)	4,192.49 (10.20)	5,636.17 (13.23)	6,013.30 (14.04)	6.69
4.	माल एवं यात्रियों पर कर (पी.जी.टी.)	554.25 (1.79)	594.59 (1.75)	2,317.47 (5.64)	20.70 (0.05)	15.85[4] (0.04)	(-) 23.43
5.	वाहनों पर कर	1,400.38 (4.53)	1,583.06 (4.65)	2,777.57 (6.76)	2,908.29 (6.83)	2,915.76 (6.81)	0.26
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	256.66 (0.83)	275.69 (0.81)	306.03 (0.74)	336.92 (0.79)	262.01 (0.61)	(-) 22.23
7.	भू-राजस्व	14.97 (0.05)	16.08 (0.05)	18.07 (0.04)	19.19 (0.05)	20.68 (0.05)	7.76
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	80.31 (0.26)	172.09 (0.51)	79.19 (0.19)	7.48 (0.02)	3.89 (0.01)	(-) 47.99
	योग	30,929.09	34,025.69	41,099.38	42,581.34	42,824.95	0.57
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	11.92	10.01	20.79	3.61	0.57	
	संपूर्ण औसत वृद्धि एवं पांच वर्ष की वृद्धि दर						38,292.09 9.38

(स्रोत: वित्त लेखे)

[4] पी.जी.टी. 01 अप्रैल 2017 से परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया गया। प्राप्ति में पिछले देयों का पी.जी.टी. संग्रहण अर्थात् सड़कों पर टोल (₹ 2.90 करोड़), यात्री कर का संग्रह (₹ 9.67 करोड़), माल कर (₹ 3.09 करोड़), स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (₹ 0.02 लाख) और ₹ 0.19 करोड़ की अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2

संग्रहित कर राजस्व का विवरण

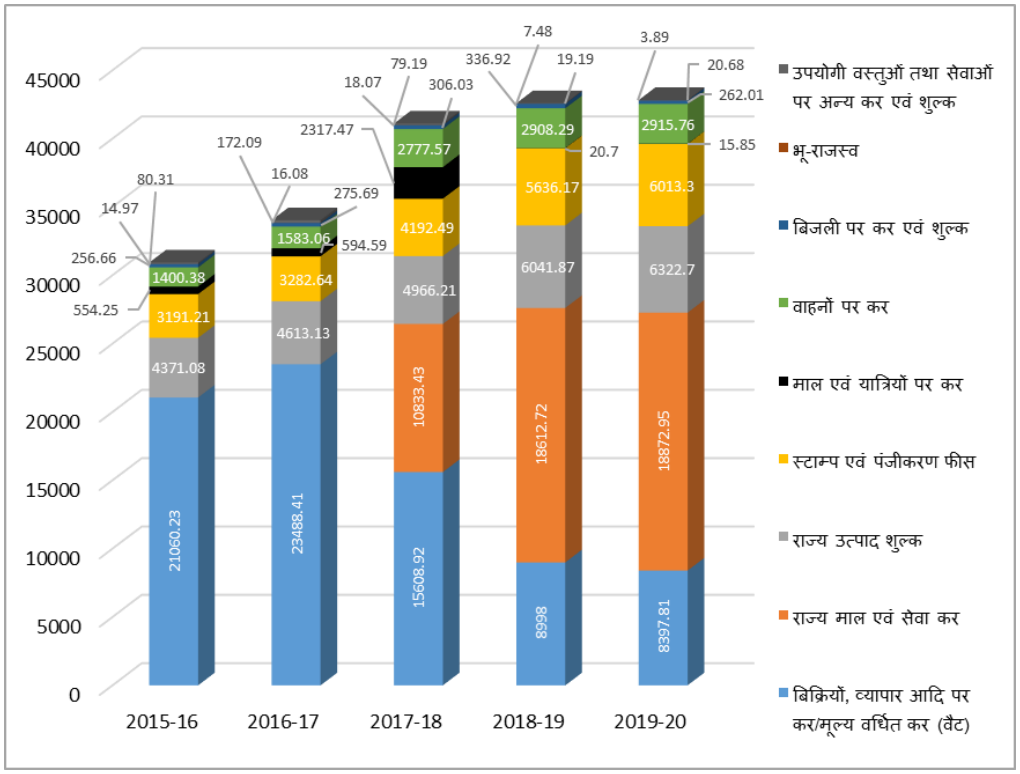

(स्रोत: वित्त लेखे)

9.38 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2015-16 से 2019-20 के दौरान राजस्व कर में ₹ 11,895.86 करोड़ (38.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2017-18 में 12.58 प्रतिशत से 3.13 प्रतिशत तक बिक्रियों (वैट + एस.जी.एस.टी.) पर मुख्यत: कर की वार्षिक वृद्धि दर में कमी के कारण 2019-20 के लिए वृद्धि दर घटकर 0.57 प्रतिशत हो गई क्योंकि कर प्राप्तियों का 64 प्रतिशत केवल इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रहित किया गया था।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- राज्य उत्पाद शुल्क: राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्ति में 2018-19 में ₹ 6,041.87 करोड़ के विरूद्ध 2019-20 में ₹ 6,322.70 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि देशी स्पिरिट पर प्राप्ति में वृद्धि के कारण थी।
- स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस: स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस में 2018-19 में ₹ 5,636.17 करोड़ के विरूद्ध 2019-20 में ₹ 6,013.30 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि अचल संपत्ति और स्टाम्पों के अधिक लेन-देन के कारण थी।
- बिजली पर कर एवं शुल्क: बिजली की उपयोगिता के उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क की कम वसूली के कारण बिजली पर कर एवं शुल्कों में 2018-19 में ₹ 336.92 करोड़ के विरूद्ध 2019-20 में ₹ 262.01 करोड़ की कमी हुई थी।
- राज्य माल एवं सेवा कर: राज्य वस्तु एवं सेवा कर वर्ष 2018-19 में ₹ 18,612.72 करोड़

से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 18,872.95 करोड़ हो गया, जो एस.जी.एस.टी. में बढ़ी हुई प्राप्तियों के कारण था।

1.1.3 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2018-19 के वास्तविकों पर 2019-20 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,087.49 (22.88)	2,309.79 (37.28)	2,227.82 (24.45)	1,953.84 (24.50)	1,974.86 (26.69)	1.08
2.	सड़क परिवहन	1,254.55 (26.40)	1,265.13 (20.42)	1,279.66 (14.04)	1,196.64 (15.0)	1,114.51 (15.06)	(-) 6.86
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	637.41 (13.41)	640.48 (10.34)	674.03 (7.40)	272.17 (3.41)	457.94 (6.19)	68.26
4.	शहरी विकास	421.95 (8.88)	599.00 (9.67)	2,861.45 (31.40)	2,315.60 (29.03)	1,855.51 (25.08)	(-) 19.87
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	271.61 (5.72)	496.95 (8.02)	712.87 (7.82)	583.20 (7.31)	702.25 (9.49)	20.41
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	110.48 (2.32)	113.43 (1.83)	132.43 (1.45)	164.19 (2.06)	171.74 (2.32)	4.60
7.	पुलिस	151.70 (3.19)	109.11 (1.76)	128.69 (1.41)	176.96 (2.22)	179.84 (2.43)	1.63
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	115.64 (2.43)	105.66 (1.71)	165.37 (1.81)	159.93 (2.01)	107.89 (1.46)	(-) 32.54
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	51.90 (1.09)	55.38 (0.89)	33.10 (0.36)	28.53 (0.36)	23.07 (0.31)	(-) 19.14
10.	विविध सामान्य सेवाएं[5]	41.39 (0.87)	31.54 (0.51)	251.50 (2.76)	166.03 (2.08)	62.96 (0.85)	(-) 62.08
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	142.06 (2.99)	31.17 (0.50)	189.34 (2.08)	195.70 (2.45)	171.89 (2.32)	(-) 12.17
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	466.30 (9.81)	438.45 (7.08)	456.59 (5.01)	762.85 (9.56)	577.28[6] (7.80)	(-) 24.33
योग		4,752.48	6,196.09	9,112.85	7,975.64	7,399.74	(-)7.22

(स्रोत: वित्त लेखे)

विभिन्न कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

---

5 अस्वामिक जमा, राज्य लॉटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

6 लाभांश एवं लाभ- ₹ 87.01 करोड़, लोक सेवा आयोग- ₹ 41.51 करोड़, लोक निर्माण- ₹ 30.85 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली- ₹ 30.77 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता- ₹ 59.77 करोड़, श्रम एवं रोजगार- ₹ 59.79 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- ₹ 88.20 करोड़, पशु पालन- ₹ 40.57 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम- ₹ 20.87 करोड़, सड़क एवं पुल- ₹ 21.65 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- ₹ 1.09 करोड़, जेल- ₹ 1.56 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान- ₹ 0.66 करोड़, स्टेशनर्स एंड प्रिंटिंग- ₹ 3.24 करोड़, परिवार कल्याण- ₹ 0.10 करोड़, आवास- ₹ 5.39 करोड़, सूचना एवं प्रकाशन- ₹ 0.14 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं- ₹ 20.68 करोड़, फसल पालन- ₹ 12.18 करोड़, डेयरी विकास- ₹ 0.03 करोड़, मछली पालन- ₹ 2.69 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण- ₹ 0.18 करोड़, सहकारिता- ₹ 9.92 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम- ₹ 2.71 करोड़, भूमि सुधार- ₹ 0.03 करोड़, नई अक्षय ऊर्जा- ₹ 0.39 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग- ₹ 7.46 करोड़, उद्योग- ₹ 0.09 करोड़, नागर विमानन- ₹ 0.05 करोड़, पर्यटन- ₹ 4.84 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- ₹ 22.86 करोड़.

चार्ट 1.3

एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

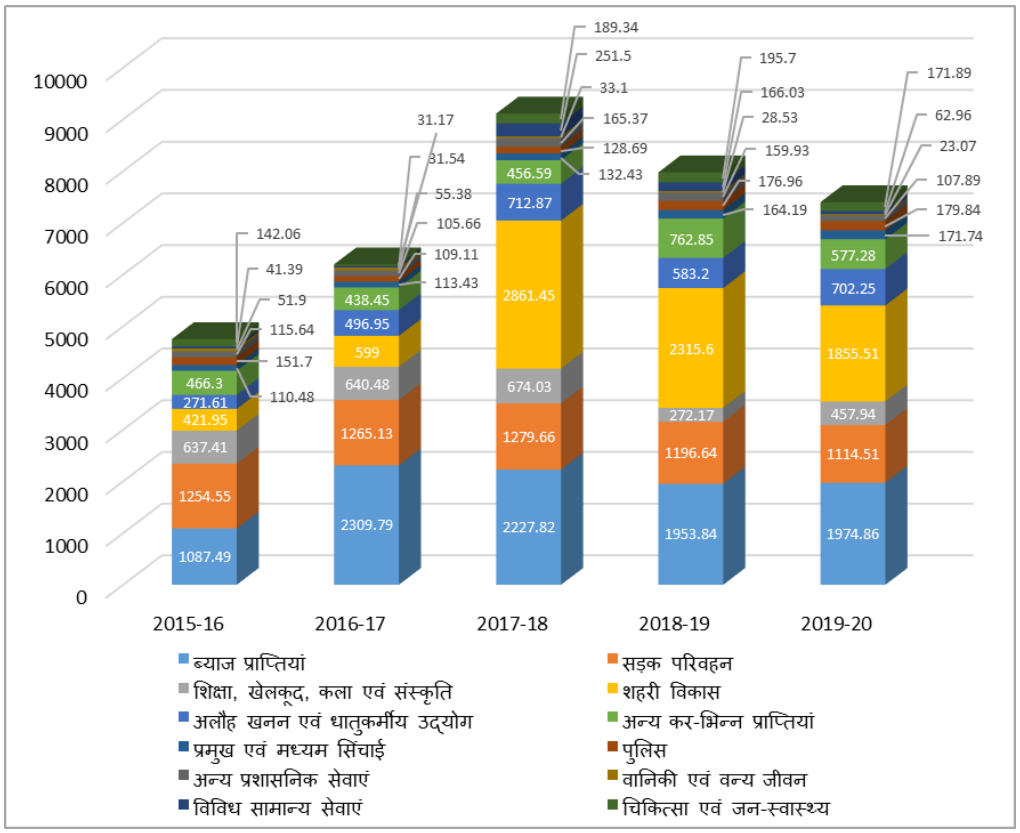

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2019-20 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में 7.22 प्रतिशत की कमी थी। ब्याज प्राप्तियां (26.69 प्रतिशत), शहरी विकास (25.08 प्रतिशत) तथा सड़क परिवहन (15.06 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का 66.83 प्रतिशत अंशदान करते हैं। तथापि, मुख्यत: शहरी विकास और सड़क परिवहन की प्राप्तियों में कमी के कारण 2018-19 से 2019-20 तक कर-भिन्न राजस्व में कमी आई है।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- ब्याज प्राप्तियां: ब्याज प्राप्तियां 2017-18 में ₹ 2,287.82 करोड़ की तुलना में 2018-19 के दौरान घटकर ₹ 1,953.84 करोड़ रह गई। यह सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज की प्राप्तियों में कमी के कारण थी। यह मुख्यत: क्रमश: 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के डिस्कॉम ऋणों को इक्विटी में बदलने के कारण था।

- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (68.26 प्रतिशत) प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

- अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (20.41 प्रतिशत) खनिज रियायत फीस, किरायों और रॉयल्टियों के प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

- पुलिस: वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (1.63 प्रतिशत) बैंक प्राधिकारियों, बी.बी.एम.बी. और अन्य पार्टियों को पुलिस बलों की आपूर्ति जैसी अप्रत्याशित प्रकृति के कारण थी।

- वानिकी एवं वन्य जीवन: वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (19.14 प्रतिशत) हरियाणा वन विकास निगम के उत्पादन विंग द्वारा पेड़ों की कटाई के कारण अर्जित राजस्व के समायोजन के कारण थी।

- विविध सामान्य सेवाएं: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (62.08 प्रतिशत) गारंटी फीस और बेदावे जमा की प्राप्तियों में कमी के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2020 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 32,684.28 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 5,571.94 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि तालिका 1.2 में वर्णित है:

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	31 मार्च 2020 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,717.17	4,934.61	मार्च 2019 तक की बकाया राशि ₹ 17,595.10 करोड़ की तुलना में मार्च 2020 तक बकाया राशि बढ़कर ₹ 30,717.17 करोड़ हो गई है। पांच वर्षों से अधिक की बकाया राशि भी मार्च 2019 में ₹ 2,758.65 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,934.61 करोड़ हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,345.21 करोड़ (4.38 प्रतिशत) की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 1,126.74 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 18.11 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 138.36 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 4,260.95 करोड़ परिशोधन/समीक्षा/अपील के कारण रोके गए थे। ₹ 2,888.50 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 3,940.62 करोड़ विभाग द्वारा (अन्य कारणों से) वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 1,426.04 करोड़ की वसूली बकाया थी। अन्तर्राज्य बकाया ₹ 3,278.28 करोड़ था तथा अन्तर्जिले बकाया ₹ 90.02 करोड़ था। ₹ 178.03 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 12,026.31 करोड़ की शेष राशि वसूली के अन्य चरणों में थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	310.48	196.28	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 14.37 करोड़ (4.63 प्रतिशत) की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.47 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 0.93 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 3.99 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 83.80 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण था। ₹ 0.01 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास ₹ 1.33 करोड़ बकाया थे। ₹ 205.58 करोड़ की शेष राशि वसूली के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	31 मार्च 2020 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	325.20	179.30	₹ 324.20 करोड़ की राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे तथा ₹ एक करोड़ हरियाणा कॉनकास्ट, हिसार के विरूद्ध सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित थे।
4.	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	206.32	147.96	₹ 197.10 करोड़ की वसूली (95.53 प्रतिशत) उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 9.22 करोड़ की शेष राशि वसूली के अन्य चरणों पर बकाया थी।
5.	पुलिस	127.98	40.91	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.37 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 120.32 करोड़ अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क – मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.69	11.69	₹ 2.76 करोड़ (23.61 प्रतिशत) की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.01 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 8.92 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	985.44	61.19	₹ 635.62 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थे। ₹ 38.43 करोड़ (5.09 प्रतिशत) की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ छः लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 311.33 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	योग	32,684.28	5,571.94	

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2018-19	3,12,411	2,19,396	5,31,807	2,35,122	2,96,685	44
	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता 89 थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग को कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करना आवश्यक है और तीसरे पक्ष से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध डीलर की जांच करनी चाहिए। आगे, विभाग नए करदाता को कर सीमा के दायरे में लाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, जो निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2019 को लम्बित मामले	2019-20 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2020 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	18	4	22	21	2.60	1
2	राज्य उत्पाद शुल्क	418	8,250	8,668	8,378	8.39	290
योग		436	8,254	8,690	8,399	10.99	291

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

वर्ष की समाप्ति पर बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के संबंध में तथा राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में भी लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2019-20 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में कमी हुई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2019-20 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2019-20 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या विभाग द्वारा सूचित किए गए, जो तालिका 1.5 में वर्णित हैं:

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	327	69.15	29	0.64
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,454	376.60	271	39.99
3	वर्ष के दौरान किए गए/ समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	1,260	258.67	249	38.65
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	521	187.08	51	1.98

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वृद्धि हुई है।

तालिका 1.5.1: जी.एस.टी. के अंतर्गत रिफंड मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	जी.एस.टी.					
		मामले	(₹ करोड़ में)				
			एस.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी.	उपकर	कुल
1	आरंभ में बकाया दावे	1,306	830.18	810.70	6,100.04	11.33	7,752.25
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,688	3,896.35	3,047.67	16,845.71	72.05	23,861.78
3	वर्ष के दौरान मैन्युअल रूप से अनुमत/अस्वीकृत रिफंड	5,768	4,692.03	3,815.43	22,774.50	83.38	31,365.34
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	226	34.50	42.94	171.25	0.00	248.69

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 165 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने सभी 165 यूनिटों (शत प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसाकि तालिका 1.6 में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6: सम्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	142	142
राज्य उत्पाद शुल्क	23	23
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	शून्य	शून्य
योग	165	165

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में दर्शाई गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) तथा परिवहन विभाग (मोटर वाहन कर) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा बिक्री कर/वैट की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है और विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए हैं। जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया महामारी प्रभाव और विभाग में अनुभाग अधिकारियों की कमी के कारण परिवहन विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई है।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच, महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले

उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जून 2020 के अन्त में 2,765 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 10,688.15 करोड़ से आवेष्टित 8,695 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ निम्न तालिका 1.7 में उल्लिखित है:

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2018	जून 2019	जून 2020
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,446	2,588	2,765
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	6,915	7,701	8,695
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	6,577.52	8,455.42	10,688.15

स्रोत: विभागीय आंकड़ा

1.7.1 30 जून 2020 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	400	3,887	8,231.79
		राज्य उत्पाद शुल्क	193	370	192.26
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465	40.01
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	23	27	12.25
2.	राजस्व	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,186	2,937	415.55
		भू-राजस्व	153	188	0.82
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	437	639	108.12
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	9	9	0.81
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	110	173	1,686.53
योग			2,765	8,695	10,688.14

स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

अत: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की वृद्धि यह इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित हैं:

तालिका 1.7.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	4	215	31.90
2	खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग	3	13	0.33
3	राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी एवं कराधान विभाग)	2	34	7.02
	योग	9	262	39.25

स्रोत: कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटा

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में 841 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 39.25 करोड़ के धन मूल्य वाले 262 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान 1,087 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी जिनमें से ₹ 361.55 करोड़ के धन मूल्य वाले 307 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था।

सरकार प्रभावकारी नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है ताकि निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर पर्याप्त और त्वरित प्रतिक्रिया/सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के त्वरित निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आयोजन की गति को तेज किया जा सके।

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 13 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 53,458 कर-निर्धारण फाईलों में से 72 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण निम्न तालिका 1.7.3 में दिया गया है:

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
गुरूग्राम (दक्षिण)	2019-20	17	2.52
गुरूग्राम (उत्तर)	2019-20	34	7.47
पलवल	2019-20	21	3.01
योग		72	13.00

स्रोत: कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

इसके फलस्वरूप, उपर्युक्त डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) से संबंधित ₹ 13 करोड़ की राशि के 72 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु, छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों में दर्शाया जाता है।

कुल मिलाकर, अगस्त 2020 और फरवरी 2021 के मध्य 17 प्रारूप अनुच्छेदो को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्राप्त आबकारी एवं कराधान विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उत्तरों को संबंधित प्रारूप अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा इस पर कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में देरी की जा रही थी। तथापि, 31 मार्च 2016 से 2018 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों के 42 अनुच्छेदों (आबकारी एवं कराधान: 31, परिवहन: 02, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन: 08 तथा खदान एवं भू-विज्ञान: 01) के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा परिशिष्ट-**I** में उल्लिखित है, प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2020)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 23 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 54 अनुच्छेदों पर लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी है (अगस्त 2020)। परिशिष्ट-**II** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति के 22वें से 78वें प्रतिवेदनों में निहित 1979-80 से 2014-15 की अवधि से संबंधित 1,034 सिफारिशों में संबंधित विभागों/सरकार द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई की जानी थी, वह अभी तक लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को शामिल किया गया है।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2020 को उनकी स्थिति परिशिष्ट-**III** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2020 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2010-11 में 116 से 2019-20 में 184 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2010-11 में 171 से 2019-20 में 347 तक बढ़ गई थी। सरकार को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को बढ़ाना चाहिए ताकि लंबित अनुच्छेदों का निपटारा किया जा सके।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति परिशिष्ट-**IV** में दी गई है।

जबकि विभाग ने गत 10 वर्षों के दौरान ₹ 172.92 करोड़ के मूल्य की आपत्तियां स्वीकार की थीं, स्वीकृत राशि में से वसूल की गई राशि मात्र ₹ 40.87 करोड़ थी। हालांकि, गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में वसूली की प्रगति मात्र 23.64 प्रतिशत थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

1.9 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 274[7] लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2019-20 के दौरान 177 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 163 इकाइयों[8] की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

---

[7] 274 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में बिक्री कर/वैट: 45, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस: 143 और राज्य उत्पाद शुल्क: 86 शामिल हैं।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 274 यूनिटों में से 163 (राजस्व 161 + व्यय 02) यूनिटों के अभिलेखों की 2019-20 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,805 मामलों में कुल ₹ 1,422.55 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,029 प्रकरणों में ₹ 298.46 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने 2019-20 के दौरान 55 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ (0.39 प्रतिशत) वसूल किए थे जिसमें से 24 मामलों में वसूल किए गए ₹ 0.78 करोड़ इस वर्ष से तथा शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 99.36 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 15 अनुच्छेद शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए सरकार/विभागों के साथ एक्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभागों/सरकार ने ₹ 98.73 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.90 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। प्राधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में शामिल कर लिया गया है। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 4 में चर्चा की गई है।

[8] मार्च 2020 में लॉक डाउन के कारण 13 इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी) चरखी दादरी की एक यूनिट की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि लेखापरीक्षा के समय यह कार्यरत नहीं थी।